



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजा भइया पुत्र भागीरथ कुशवाहा निवासी ग्राम चाकी थाना गोहन जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना गोहन में मु०अ०सं० 84 /2022 (वाद संख्या – 02/23) धारा 376 ए.बी भादवि व 5m/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.11.2023 को मा० न्यायालय एडीजे/स्पेशल जज (दुष्कर्म एवं पॉक्सो) कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजा भइया उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2023 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (6 माह 10 दिन) में दण्डित किया गया।



ADGC कृमिनल वृजराज सिंह
राजपूत



कोर्ट पैरोकार रामलौटन

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice